भारत सरकार
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र
सिविल इंजीनियरी प्रभाग

ट्रांबे,
मुंबई-400 085

ई - निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा सूचना सं. : बीएआरसी /सीईडी/ईटी/97/2023-2024 दिनांक 22.03.2024

निविदा आमंत्रण सूचना के ब्यौरे:

1. भारत के राष्ट्रपति की ओर से प्रमुख, केंद्रीकृत सेवा अनुभाग, इंजीनियरिंग सेवा समूह, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ट्रॉम्बे, मुंबई-400 085 द्वारा निम्नलिखित कार्यों हेतु उन पात्र ठेकेदारों से **ई-निविदाकरण** के माध्यम से दो भागों में यथा: भाग-क तकनीकी वाणिज्यिक बोली एवं भाग-'ख' वित्तीय बोली के रूप में एतदद्वारा ऑनलाईन मद-दर निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं जिनका नाम सीपीडब्ल्यूडी,एमईएस, रेल्वे, राज्य पीडब्ल्यूडी, केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के सार्वजनिक उपक्रमों/केंद्रीय स्वायत्त निकायों की अनुमोदित सूची में हो तथा जिनके पास परमाणु ऊर्जा विभाग (पऊवि) में ऐसे महत्वपूर्ण समान कार्य करने का पर्याप्त अनुभव एवं क्षमता हो।

i)	कार्य का नाम	**बी.ए.आर.सी, हानले, लेह लद्दाख में विविध सिविल और रखरखाव कार्य।** ।
ii)	अनुमानित लागत	**₹ 36,17,000/- (जीएसटी को छोड़कर)**
iii)	बयाना राशि	**₹ 72,340/-**
टिप्पणी:- मूल रूप में बयाना राशि को लेखा अधिकारी, भापअ केंद्र, मुंबई, के नाम जारी किसी अनुसूचित बैंक के आवधिक जमा रसीद/,डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/पे ऑर्डर के रूप में प्रस्तुत करना होगा। बयाना राशि का एक भाग बैंक गारंटी (ई-बैंक गारंटी सहित) के रूप में भी स्वीकार्य है। ऐसे मामलों में बयाना राशि का कम से कम 50% या ₹ 20 लाख, जो भी कम हो, उपर्युक्त निर्धारित रूप में होना चाहिए एवं शेष राशि निविदा भाग 'क' के परिशिष्ट 'क' के अनुसार किसी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी (ई-बैंक गारंटी सहित) के रूप में स्वीकार की जा सकती है।		
(iv)	निविदा दस्तावेज का मूल्य	**शून्य।**
(v)	निविदा प्रक्रिया शुल्क	**शून्य।**
(vi)	समाप्ति की अवधि	**18 (अठारह) कैलेंडर महीने मानसून अवधि सहित।**
(vii)	डाउनलोड हेतु निविदा दस्तावेजों की उपलब्धता की तारीख	**दिनांक 27.03.2024 (17:00 बजे)** से दिनांक **19.04.2024 (15:00 बजे)** तक डाउनलोड करने के लिए-कृपया **CPPP** वेबसाइट **https://eprocure.gov.in/eprocure/app** पर जाएं । विस्तृत एनआइटी केवल देखने हेतु **www.barc.gov.in** वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(viii)	स्थल निरीक्षण एवं बोली-पूर्व स्पष्टीकरण की तारीख	ठेकेदारों से अनुरोध है कि दिनांक --- तक ई-मेल द्वारा अपनी बोली-पूर्व शंकाएं भेजें । स्थल निरीक्षण एवं बोली पूर्व बैठक --- को सीईडी, बीएआरसी मुंबई में होगी । बोली पूर्व स्पष्टीकरण सीपीपी वेबसाइट पर ---- तक अपलोड किया जाएगा । ।
(ix)	ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करने की आरंभिक तिथि एवं समय	**28.03.2024 को (17.00 बजे) ।**
(x)	निविदाओं के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण की अंतिम तारीख एवं समय	**19.04.2024 को (15.00 बजे) ।**
(xi)	ईएमडी की कीमत के लिए प्रस्तुतीकरण की अंतिम तारीख	दिनांक **23.04.2024** को **15.00** बजे या इससे पूर्व मात्रा अनुभाग कार्यालय में, कमरा नंबर 203, पहली मंजिल, सीईडी, बीएआरसी, ट्रॉम्बे, मुंबई 400085 या नॉर्थ गेट एग्जिट पोर्टल (संपर्क नंबर 022 2559 3119) के ग्राउंड फ्लोर (सीढ़ी के पास) में सीईडी कार्यालय में रखे ड्रॉप बॉक्स में) एक सीलबंद लिफाफे में मुख्य, मात्रा अनुभाग, सीईडी, कार्य का नाम और एनआईटी संख्या का उल्लेख करते हुए संबोधित करते हुए लिफाफे में। मूल दस्तावेजों को वरीयत: व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करें। तथापि, डाक अथवा कूरियर द्वारा भेजे गए दस्तावेजों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते दि वे निर्धारित तारीख एवं समय से पहले प्राप्त हो जाते हैं ।
(xii)	भाग 'क' अर्थात तकनीकी बोली के खुलने की तारीख एवं समय	**24.04.2024 (15.30 बजे)**
xiii)	भाग 'ख' अर्थात वित्तीय बोली योग्यता प्राप्त बोलीकर्ताओं की वित्तीय बोली के खुलने की तारीख	बाद में सूचित की जाएगी ।

II. प्रारंभिक पात्रता मानदंड:

2. i) बोलीकर्ता को, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार (डीपीआईआईटी) द्वारा जारी सार्वजनिक प्रापण (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश, 2017 (समय-समय पर यथासंशोधित) का अनुपालन करना होगा। साथ ही, बोलीकर्ता को, बोली के साथ, विषयक निविदा द्वारा उपलब्ध करवायी जानेवाली सामग्री के **.....%** स्थानीय उत्पाद हेतु वचनबंध प्रस्तुत करना होगा।

ii) सार्वजनिक प्रापण (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश, 2017 में यथा परिभाषित केवल **'श्रेणी-I** स्थानीय आपूर्तिकर्ता' विषयक निविदा में भाग लेने के पात्र होंगे।

iii) बोलीकर्ता के पास निम्नलिखित होना चाहिए :

(ए) ठेकेदारों की उपयुक्त श्रेणी में पंजीयन, यदि कोई हो ।

(बी) निविदा खुलने की तारीख से पूर्व एक वर्ष के भीतर जारी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से कम से कम **₹ 14.47 लाख** के बैंक ऋण शोधन क्षमता प्रमाणपत्र ।

(सी) दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले पिछले **3 वर्षों** के दौरान निर्माण कार्यों पर कुल ₹ **36.17**

लाख का औसत वार्षिक वित्तीय टर्न ओवर (सकल)। यह चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत लेखा परीक्षित हो और प्रैक्टिस करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए वैध विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (यूडीआईएन) भी होनी चाहिए।

(डी) **31 मार्च 2023** को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान दो वर्ष से अधिक में घाटा (कर के पश्चात लाभ हुआ हो) नहीं हुआ होना चाहिए।
(ई) पिछले 7 वर्षों के दौरान समान कार्य किया हो।
(एफ) कार्यनिष्पादन प्रमाणपत्र
(जी) कार्य को समय से पूरा करने के लिए निर्माण संयंत्र एवं मशीनरी**,** उपस्कर एवं सह सामग्री तथा अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाएं।
(एच) आवश्यक तकनीकी स्टाफ
(आई) स्थाई लेखा संख्या (पैन) एवं जीएसटी प्रमाणपत्र

बोलीदाता को संतोषजनक ढंग से पूरा किया जाना चाहिए (कार्य के क्लायंट द्वारा निष्पादन प्रमाणपत्र पर आधारित) कम से कम प्रत्येक **₹ 14.47 लाख** की लागत के इसी प्रकार के **03 (तीन)** कार्य या कम से कम **₹ 21.70 लाख** की लागत के इसी प्रकार के **02 (दो)** कार्य या कम से कम **₹ 28.94 लाख** की लागत के इसी प्रकार का **01(एक)** कार्य पिछले 7 (सात) वर्षों के दौरान, जिस महीने में निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, उसके पिछले महीने के आखिरी दिन को समाप्त होती हैं/ निविदा जमा करने की अंतिम तिथि के पिछले दिन तक पूर्ण किए गए कार्यों पर भी विचार किया जाएगा और यदि केंद्र सरकार / राज्य सरकार / केंद्र या राज्य सरकारों / केंद्रीय स्वायत्त निकायों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पात्र समान कार्य नहीं किए जाते हैं, तो इसके लिए बोली लगाने वाले को टीडीएस प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। पैरा में उल्लिखित पूर्ण कार्यों की लागत में सभी कर शामिल हैं लेकिन **जीएसटी शामिल नहीं है**।

3. जीएसटी युग से पहले पूरे किए गए कार्यों का अनुभव प्रमाण पत्र, समापन राशि को 1.12 से विभाजित किया जाएगा (पूर्व जीएसटी कर वैट 12% को बाहर करने के लिए) ताकि इसे जीएसटी युग के बाद के अनुभव प्रमाणपत्रों के बराबर बनाया जा सके लेकिन **जीएसटी को छोड़कर**।
4. जीएसटी के बाद के युग में पूर्ण किए गए कार्यों के अनुभव प्रमाण पत्र के लिए, कार्य की पूर्णता लागत को जीएसटी को छोड़कर माना जाएगा। यदि प्रमाणपत्र में यह निर्दिष्ट नहीं है कि पूर्णता लागत में जीएसटी शामिल है या नहीं, तो इस संबंध में बोलीदाता को अपने लेटरहेड पर, चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित, एक वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा कि पूर्णता लागत में जीएसटी शामिल/अनन्य है। यदि बोलीदाताओं द्वारा ऐसा कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अनुभव प्रमाण पत्र में उल्लिखित लागत को जीएसटी सहित माना जाएगा और जीएसटी घटक को उसमें से काट लिया जाएगा। **जीएसटी काटने के बाद** प्राप्त कार्य का मूल्य केवल एनआईटी के अनुसार योग्यता आवश्यकता के लिए माना जाएगा।
5. इस प्रयोजन हेतु "कार्य की लागत" का तात्पर्य है पूरे हुए कार्य की सकल लागत जिसमें सरकार/क्लायंट द्वारा आपूर्ति की गयी सामग्रियों की लागत शामिल हैं**,** लेकिन इसमें नि:शुल्क आपूर्ति की गयी सामग्री शामिल नहीं होगी। इसी प्रकार के कार्य का तात्पर्य है "**किसी भी प्रकार का सिविल कार्य "।**

6. निष्पादित कार्य के मूल्य को कार्य के वास्तविक मूल्य में 7% प्रति वर्ष की सामान्य दर पर वृद्धि करते हुए वर्तमान लागत स्तर तक लाया जाएगा जिसका परिकलन पूर्णता की तारीख से निविदा दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख तक किया जाएगा ।

7. बोलीकर्ता भारत में एक पंजीकृत फर्म होना चाहिए । संयुक्त उद्यम तथा /अथवा कंसोर्टियम स्वीकार्य नहीं है ।

III. सूचना :

8. निविदा दस्तावेज दो भागों में अर्थात भाग 'क' (तकनीकी वाणिज्यिक बोली) एवं भाग 'ख' (कीमत बोली) में तैयार किया गया है। भाग 'क' में तकनीकी वाणिज्यिक बोली है यथा : खंड I-ई निविदा आमंत्रण सूचना (अंग्रेजी और हिंदी भाषा में), खंड II- करार का प्रपत्र एवं ठेकेदारों के मार्गदर्शन हेतु सामान्य नियम एवं निदेश, ज्ञापन, खंड III- ठेके की सामान्य शर्तें , अतिरिक्त शर्तें, खंड IV- निविदाकारों को विशेष अनुदेश, खंड V-तकनीकी विनिर्देश, खंड VI- टेंडर ड्राइंग्स की सूची, खंड VII- अनुसूची 'क'- (विभाग द्वारा आपूर्ति की जानेवाली सामग्रियों की अनुसूची), परिशिष्ट- 'ख', निष्पादन प्रतिभूति के लिए बीजी बोंड का प्रपत्र, परिशिष्ट 'ग'- प्रतिभूत अग्रिम के लिए दस्तावेज (इंडेंचर), परिशिष्ट 'घ'-वाटरप्रूफिंग कार्यों के लिए गारंटी बोंड, परिशिष्ट 'च' - टरमाइट प्रतिरोधी उपचार के लिए गारंटी बोंड, अनुलग्नक 'क'-कर्मचारियों एवं मशीनरी का विवरण, अनुलग्नक 'ख'- भवन निर्माण सामग्रियों के अनुमोदित निर्माता की सूची एवं निविदा दस्तावेजों के सभी शुद्धिपत्र और अनुसूची 'क' से 'छ' का प्रोफार्मा । भाग 'ख' (कीमत बोली) में अनुसूची 'ख'-प्रमात्राओं की अनुसूची है । सफल बोलीकर्ता को कार्य सौंपे जाने के बाद, उक्त सभी दस्तावेज करार के एक भाग के रूप में शामिल होंगे।

मानक दस्तावेजों की प्राप्ति : भावी बोलीकर्ता या सामान्यजन उक्त दस्तावेजों को वेबसाइट **www.barc.gov.in☛Tenders and NITs☛Other Information** से नि:शुल्क देख सकते हैं एवं इसके पीडीएफ फार्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं ।

IV. **सीपीपी की वेबसाइट में ई-निविदाकरण हेतु दिशा-निर्देश**

सीपीपी पोर्टल में निविदाकरण की प्रकिया में भाग लेने के लिए, भावी बोलीकर्ताओं के पास श्रेणी-।।। डिजिटल हस्ताक्षर का वैध प्रमाणपत्र होना चाहिए। निविदा के पात्रता मानदंडों से संबंधित समस्त प्रलेख सीपीपी पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए। बोलीकर्ता को सीपीपी पोर्टल पर पंजीकरण, बोली की अपेक्षानुरूप तैयारी तथा सीपीपी पोर्टल पर बोलियों की ऑनलाइन प्रस्तुति में सहायता के लिए निम्नलिखित अनुदेश दिए गए है।

सीपीपी पोर्टल पर ऑनलाइन बोलियां प्रस्तुत करने संबंधी अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट https://eprocure.gov.in/eprocure/app देखें।

9. **पंजीकरण**

(i) बोलीकर्ताओं को सीपीपी पोर्टल पर लिंक "ऑनलाइन बोलीकर्ता पंजीयन" पर क्लिक करते हुए केंद्रीय सार्वजनिक प्रापण पोर्टल (URL:https://eprocure.gov.in/eprocure/app) के ई-प्रापण माड्यूल पर स्वयं को नामांकित करना होगा । यह सुविधा निशु:ल्क है ।

(ii) नामांकन प्रकियाके एक भाग के रूप में, बोलीकर्ताओं को एक विशिष्ट यूजर नेम का चयन करना होगा तथा अपने एकाउन्ट के लिए एक पासवर्ड निर्मित करना होगा।

(iii) बोलीकर्ताओं को यह सलाह दी जाती है कि वे पंजीकरण प्रकिया के एक भाग के रूप में अपना वैध ई-मेल पता एवं मोबाइल नंबर पंजीकृत करें । भविष्य में सीपीपी पोर्टल से किसी भी सूचना के लिए इसका उपयोग किया जाएगा ।

(iv) नामांकन के पश्चात, बोलीकर्ताओं को अपने प्रोफाइल के साथ सीसीए, भारत द्वारा मान्यता-प्राप्त किसी भी प्रमाणन प्राधिकारी (उदाहरणार्थ **Sify / nCode / eMudhra** इत्यादि) की ओर से जारी किए गए वैध डिजिटल हस्ताक्षर (साइनिंग Key usage के साथ श्रेणी-।।। प्रमाणपत्र) पंजीकृत करने होंगे ।

(v) एक बोलीकर्ता केवल एक डीएससी पंजीकृत करेगा। कृपया ध्यान दें कि बोलीकर्ता की यह जिम्मेदारी है कि यह सुनिश्चित करें कि वे अपना डीएससी किसी और को न दें ताकि उसके गलत उपयोग से बचा जा सके ।

(vi) तत्पश्चात बोलीकर्ता अपना प्रयोक्ता आईडी/ पासवर्ड तथा डीएससी/ई-टोकन के पासवर्ड टाइप करते हुए सुरक्षित लॉग-इन के माध्यम से वेबसाइट पर लॉग कर सकते हैं।

10. निविदा दस्तावेजों की खोज

(i) विविध मानकों के अनुसार से सक्रिय निविदाओं की खोज में बोलीकर्ताओं की सहायता के लिए सीपीपी पोर्टल में खोज के कई विकल्प उपलब्ध करवाए गए हैं। इन मानकों में निविदा आईडी, संगठन का नाम, स्थान, तिथि, मूल्य इत्यादि शामिल हैं। निविदाओं की प्रगत खोज के लिए भी एक विकल्प है जिसमें बोलीकर्ता एक से अधिक मानकों जैसे कि संगठन का नाम, संविदा का प्रकार, स्थान, तिथि अन्य की-वर्ड इत्यादि को लेते हुए सीपीपी पोर्टल पर प्रकाशित निविदा की खोज कर सकते हैं।

(ii) जिस निविदा में बोलीकर्ता की रुचि है, उसके चयन के पश्चात, वे आवश्यक दस्तावेज/निविदा समय-सारणी डाउनलोड कर सकते हैं। इन निविदाओं को संबंधित 'My Tenders'नामक फोल्डर में संचयित किया जा सकता है । इसके फलस्वरूप, निविदा दस्तावेज में शुद्धिपत्र जारी किए जाने की स्थिति में सीपीपी पोर्टल की ओर से एसएमएस/ ई-मेल के माध्यम से बोलीकर्ता को सूचना प्रेषित की जा सकेगी।

(iii) बोलीकर्ता, प्रत्येक निविदा को प्रदान की गई यूनीक निविदा आईडी को नोट कर लें ताकि हेल्पडेस्क से स्पष्टीकरण/ सहायता, यदि आवश्यक हो, तो वह सुगमता से प्राप्त हो सके ।

11. बोलियों की तैयारी

(i) बोलीकर्ता को निविदा दस्तावेज के संबंध में प्रकाशित शुद्धिपत्र में उल्लिखित बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए ।

(ii) कृपया बोली के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों को समझने के लिए निविदा विज्ञापन एवं निविदा दस्तावेज को ध्यान से पढ़ लें। कृपया बोली दस्तावेजों को प्रस्तुत करने हेतु लिफाफों की संख्या, प्रस्तुत किए जाने हेतु अपेक्षित प्रत्येक दस्तावेज का नाम एवं विषय वस्तु सहित दस्तावेजों की संख्या नोट कर लें । उक्त बिंदु से किसी भी प्रकार का विचलन होने पर बोली को अस्वीकार किया जा सकता है । यदि ईएमडी या तकनीकी-वाणिज्यिक बोली (भाग-ए) के साथ किसी भी मूल्य बोली की जानकारी का खुलासा किया जाता है तो निविदा को सरसरी तौर पर

खारिज कर दिया जाएगा।

(iii) बोलीकर्ताओं को निविदा दस्तावेज/ समय सारणी में यथावर्णित,प्रस्तुत किए जाने वाले बोली दस्तावेज पहले से ही तैयार करके रख लेने चाहिए तथा सामान्यत: ये दस्तावेज PDF / XLS / RAR / DWF/ JPG फार्मेट में हो बोली दस्तावेज ब्लैक एंड व्हाइट विकल्प सहित 100 dpi के साथ स्कैन कर लिए जाएं ताकि स्कैन किए गए दस्तावेज का साइज कम हो सके ।

(iv) प्रत्येक बोली के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किए जानेवाले मानक दस्तावेजों के समान सेट को हर बार अपलोड करने में लगने वाले समय एवं मेहनत से बचने के लिए, ऐसे मानक दस्तावेजों (उदाहरणार्थ पैन कार्ड की प्रति, वार्षिक रिपोर्टें, लेखा परीक्षक प्रमाणपत्र इत्यादि) को एकबारगी अपलोर्डिंग का प्रावधान बोलीकर्ताओं के लिए उपलब्ध करवाया गया है। ऐसे दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए बोलीकर्ता उन्हें उपलब्ध कराए गए "My Space"या "Other Important Documents'' जैसे एरिया का उपयोग कर सकते हैं । बोली प्रस्तुत करते समय इन दस्तावेजों को सीधे "My Space"एरिया से जमा किया जा सकता है तथा उन्हें बार-बार अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। इसके परिणामस्वरूप बोली प्रस्तुति प्रकिया में कम समय लगेगा।

नोट: "My Documents"यह स्पेस केवल एक संग्रह क्षेत्र है जो बोलीकर्ताओं को अपलोर्डिंग प्रक्रिया में सहायता हेतु उपलब्ध करवाया गया है। यदि बोलीकर्ता ने "My Documents" स्पेस में अपने दस्तावेज अपलोड कर दिए हैं, तो इससे यह बात स्वत: सुनिश्चित नहीं हो जाती कि ये दस्तावेज तकनीकी बोली का एक भाग हो चुके हैं।

12. बोलियों की प्रस्तुति

(i) बोलियां सीपीपी वेबसाइट **https://eprocure.gov.in/eprocure/app** पर ऑनलाइन प्रस्तुत की जाएंगी ।

(ii) बोलीकर्ता को, पर्याप्त समय पूर्व वेबसाइट पर लॉगिन कर लेना चाहिए ताकि वे समय पर अर्थात निर्धारित तारीख को या उससे पूर्व बोली को अपलोड कर सकें। अन्य कारणों से, किसी भी प्रकार के विलंब के लिए बोलीकर्ता जिम्मेदार होंगे ।

(iii) निविदा दस्तावेज में बताए गए अनुसार बोलीकर्ता को सभी आवश्यक बोली दस्तावेजों पर डिजिटल हस्ताक्षर करने होंगे तथा एक-एक करके उन्हें अपलोड करना होगा।

(iv) यथा लागू निविदा शुल्क/ ईएमडी का भुगतान करने के लिए बोलीकर्ता को भुगतान विकल्प में "ऑफलाइन" का चयन करना होगा तथा भुगतान के माध्यम का विवरण भरना होगा ।

(v) बोलीकर्ता को निविदा दस्तावेज में निर्धारित अनुदेशों के अनुसार ईएमडी तैयार करनी होगी। उसकी मूल प्रति को डाक द्वारा/कुरियर से/ व्यक्तिगत रूप से संबंधित पदाधिकारी को, बोली प्रस्तुति की अंतिम तिथि तक या उससे पूर्व या निविदा दस्तावेज में यथा निर्धारित समयानुसार अग्रेषित करनी होगी। प्रत्यक्ष रूप से भेजे गए डीडी/ भुगतान के किसी अन्य स्वीकृत माध्यम से किए गए भुगतान का विवरण स्कैन की हुई प्रति में उपलब्ध विवरण एवं बोली प्रस्तुति के समय भरे गए डाटा से मेल खाना चाहिए अन्यथा अपलोड की गई बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(vi) एजेंसी को, कार्य से संबंधित बोली पूर्व स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, तो उसे डाउनलोड करना है और उसे (स्कैन की गई प्रति) मोहर सहित हस्ताक्षर के साथ अपलोड करना है । संशोधित दस्तावेज (यदि कोई हों) को ई-निविदा पोर्टल पर अपलोड करना होगा ।

(vii) बोलीकर्ता कृपया ध्यान दें कि वे अपनी वित्तीय बोलियां, उन्हें उपलब्ध करवाए गए प्रारूप में ही प्रस्तुत करें तथा अन्य कोई भी प्रारूप स्वीकार्य नहीं होगा । यदि मूल्य की बोली को निविदा

दस्तावेज सहित मानक BoQ प्रारूप के रूप में उपलब्ध करवाया गया है, तो सभी बोलीकर्ताओं द्वारा उसे ही डाउनलोड किया जाना होगा और उसमें ही विवरण भरना होगा। बोलीकर्ताओं को BoQ फाइल डाउनलोड करनी होगी, उसे खोलना होगा एवं आसमानी रंग के खानों (परिवर्तनीय) में संबंधित वित्तीय कोट एवं अन्य विवरण (जैसे कि बोलीकर्ता का नाम) भरना होगा । किसी अन्य खाने में कोई परिवर्तन नहीं करना है। समस्त विवरण भरने के पश्चात, बोलीकर्ता को फाइल सेव करनी चाहिए तथा फाइल का नाम अपरिवर्तित रखते हुए उसे ऑनलाइन प्रस्तुत करना चाहिए। यह पाए जाने पर कि बोलीकर्ता द्वारा फाइल में परिवर्तन किया गया है, बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

(viii) निविदाकर्ताओं को यह सलाह दी जाती है कि वे पर्याप्त समय पूर्व ही अपने दस्तावेज अपलोड कर लें ताकि सर्वर पर अंतिम समय पर होने वाली व्यस्तता या अपलोड करने में किसी प्रकार की जटिलता की स्थिति से बचा जा सके। दस्तावेज अपलोड करने के दौरान किसी भी प्रकार की कठिनाइयों जिसमें सर्वर एवं तकनीकी समस्याएं भी शामिल हैं, के लिए भापअ केंद्र किसी भी हाल में जिम्मेदार नहीं होगा ।

(ix) बोली दस्तावेजों को ब्लैक एंड व्हाइट विकल्प सहित 100 dpi के साथ स्कैन किया जाए ताकि स्कैन किए गए दस्तावेजों का साइज कम हो सके हो ।

(x) बोलीकर्ताओं द्वारा बोलियों की प्रस्तुति के हेतु, बोलियों के खुलने आदि के लिए निर्धारित समय के संदर्भ के लिए सर्वर समय (जो बोलीकर्ता के डैशबोर्ड पर प्रदर्शित होता है।) को मानक समय माना जाएगा। बोली प्रस्तुति के दौरान बोलीकर्ता को इसी समय का पालन करना चाहिए।

(xi) नियत तिथि एवं समय (समय-विस्तार सहित) के पश्चात निविदा दस्तावेज को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है ।

(xii) डाटा की गुप्तता को सुनिश्चित करने के लिए बोलीकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों को PKI इनक्रिप्शन तकनीक का प्रयोग करते हुए इनक्रिप्ट किया जाएगा। प्रस्तुत किए गए डाटा को कोई भी अप्राधिकृत व्यक्ति बोली खुलने के समय तक देख नहीं पाएंगे। बोली की गोपनीयता को सुरक्षित सॉकेट लेयर 128 ब्रिट इनक्रिप्शन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए बनाए रखा जाता है। संवेदनशीन फील्डों का डाटा स्टोरेज इनक्रिप्शन किया जाता है । सर्वर पर अपलोड किए जाने वाले प्रत्येक बोली दस्तावेज को सिस्टम निर्मित सिमिट्रिक key का प्रयोग करते हुए, सिमिट्रिक इनक्रिप्शन किया जाता है। उसके बाद क्रेता/ बोली खोलनेवाले प्राधिकारी की पब्लिक keys का प्रयोग करते हुए, उक्त key का एसिमिट्रिक इनक्रिप्शन किया जाता है। अपलोड किए गए निविदा दस्तावेजों को बोली खोलने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा बोली के खोले जाने के बाद ही पढ़ा जा सकता है।

(xiii) बोलियों को समय पर सफलतापूर्वक अपलोड करने पर (अर्थात पोर्टल में **"Freeze Bid Submission"** क्लिक करने के पश्चात) पोर्टल पर सफल बोली प्रस्तुति का संदेश प्रदर्शित होगा तथा बोली संख्या तथा बोली प्रस्तुति की नियत तारीख एवं समय एवं अन्य संगत विवरण सहित बोली सारांश प्रदर्शित होगा ।

(xiv) बोली सारांश का प्रिंटआउट लेकर उसे बोली प्रस्तुति की पावतीस्वरूप अपने पास रखना होगा। इस पावती का उपयोग बोली खुलने संबंधी बैठकों के लिए केंद्र में आने के समय प्रवेश-पास के रूप में किया जा सकता है।

(xv) इच्छुक बोलीकर्ताओं को यह सलाह दी जाती है कि वे बोली प्रस्तुति की अंतिम तारीख तक इस वेबसाइट को नियमित रूप से देखें ताकि वे, शुद्धिपत्र/अनुशेष/संशोधन द्वारा वेबसाइट के माध्यम से निविदा में किए गए परिवर्तन/ आशोधन संबंधी जानकारी के बारे में अद्यतित रहें।

13. बोलीकर्ताओं की सहायता हेतु : -

1) निविदा दस्तावेज एवं उसमें निहित निबंधन एवं शर्तों से संबंधित कोई भी पूछताछ उस निविदा के, निविदा आमंत्रण प्राधिकारी या निविदा में उल्लिखित संबंधित संपर्क व्यक्ति को संबोधित की जानी चाहिए।

2) बोली की ऑनलाइन प्रस्तुति की प्रक्रिया से संबंधित पूछताछ या सामान्यत: सीपीपी पोर्टल से संबंधित पूछताछ 24x7 पोर्टल हेल्पडेस्क को प्रेषित की जा सकती है।

शर्तें :

14. निविदा का भाग 'क' खोलने के बाद मुख्य **अभियन्ता, ईएसजी** शायद एक निरीक्षण दल का गठन करेंगे जो निविदाकार के चालू कार्य/ पूर्ण हुए कार्यों के चयनित कार्य स्थलों का दौरा करेंगे ताकि निम्नलिखित के आधार पर निविदाकारों की क्षमता का मूल्यांकन किया जा सके।

ए) पिछले 5 वर्षों के दौरान वित्तीय क्षमता और उनके टर्न ओवर।

बी) कार्य के संबंध में कंपनी की तकनीकी क्षमता।

सी) पिछले 7 वर्षों के दौरान निविदाकार द्वारा निष्पादित कार्यों का स्वरूप।

डी) कंपनी की संघटनात्मक संरचना।

ई) विषयगत कार्य को करने के लिए कंपनी द्वारा अपेक्षित आवश्यक संसाधन।

एफ) समय एवं गुणवत्ता सजगता।

जी) असंगत दावों और विवादों के बारे में कंपनी की प्रवृत्ति।

एच) स्थल नियोजन क्षमता।

आई) कार्य को बैक टू बैक / उप किराए पर देने हेतु कंपनी की प्रवृत्ति।

15. भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में लागू सुरक्षा प्रक्रिया के अनुसार, कार्य शुरू करने से पहले भापअ केंद्र के सुरक्षा अनुभाग द्वारा सफल बोलीकर्ता की जांच की जाएगी।

16. भाग 'क' के खुलने के बाद निविदा में किसी प्रकार के संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी।

17. किसी शर्त या सशर्त छूट वाली निविदाओं को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। फिर भी, जिन निविदाओं में बिना किसी शर्त के छूट दी गई हो उन्हें स्वीकार किया जाएगा।

18 ए. यदि आवेदक द्वारा दी गई कोई भी सूचना बाद में गलत पाई जाती है तो उन्हें भापअ केंद्र में भविष्य में निविदाकरण/कोई भी कार्य करने से रोक दिया जाएगा। यदि कार्य शुरू करने से पहले भी किसी भी उल्लंघन की सूचना, विभाग को प्राप्त होती है तो प्रभारी अभियंता बयाना राशि एवं निष्पादन गारंटी को पूर्ण रूप से जब्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

18 बी. एक बोलीदाता/ठेकेदार को बीएआरसी / डीएई में किसी भी नई खरीद/निविदा में भाग लेने से, बीएआरसी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय की गई अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, यदि फर्म को सामान्य वित्तीय नियम 2017 के नियम 151 और 175(1) या इसके संशोधन के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी पाया जाता है [https://doe.gov.in/ordercircular/general-financial-rules2017-0]; और/या कार्यों की

खरीद की नियमावली 2022 या इसके संशोधनों के खंड 7.5 और उप-खंड (अध्याय 7) [https://doe.gov.in/manuals/manual-procurement-works-updated-june-2022]; और/या खंड 2.4 और उप-खंड (अध्याय 2) परामर्श और अन्य सेवाओं की खरीद के लिए मैनुअल 2022 या इसके संशोधन [https://doe.gov.in/visions/manualprocurement-consultancy-other-services]। इस संबंध में बीएआरसी के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और बोली लगाने वाले/ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा ।

19. कार्य को पूरा करने की अवधि की गणना कार्य शुरू करने के लिए लिखित आदेश मिलने के 15वें या कार्य स्थल की सुपुर्दगी के पहले दिन, जो भी बाद में हो, से निविदा दस्तावेजों में यथा उल्लिखित, यदि कोई हो, चरणबद्ध तरीके के अनुसार होगी ।

20. निविदा को निविदा के ऑन लाइन प्रस्तुतीकरण के बंद होने की आखिरी तारीख से **180 (एक सौ अस्सी)** दिनों तक वैध रखा जाएगा ।

21. यदि बयाना राशि के लिए मूल दस्तावेज प्राप्त करने की तथा निविदा खुलने की अंतिम तारीख को छुट्टी घोषित की जाती है तो उक्त तारीख को तदनुसार आगे के कार्य दिवस तक स्थगित माना जाएगा ।

22. उल्लिखित स्थान, तारीख एवं समय पर निविदा दस्तावेज़ का मूल्य एवं बयाना राशि जमा जैसा कि लागू है, के लिए किसी अनुसूचित बैक का मूल डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/ भुगतान आदेश /फ़िक्स डिपॉजिट रसीद/बैंक गारंटी (ई-बैंक गारंटी सहित) और निविदा प्रक्रिया शुल्क हेतु इलेक्ट्रानिक विधि द्वारा किए गए ई-भुगतान की रसीद जमा करनी होगी नहीं तो निविदाओं को रद्द कर दिया जाएगा और आगे की कार्यवाही नहीं की जाएगी ।

23. **बयाना राशि जमा/निविदा दस्तावेज की कीमत/निविदा प्रक्रिया शुल्क के लिए चैक स्वीकार नहीं किया जाएगा ।**

24. जिस ठेकेदार की निविदा स्वीकृत की गयी है**,** उनके द्वारा ठेके की विधिवत पूर्ति हेतु प्रतिभूति जमा के रूप में कार्य के निविदा मूल्य के **2.5%** की राशि जमा करने की आवश्यकता है । इसके अतिरिक्त ठेकेदार को निविदा मूल्य के **3%** की समतुल्य राशि को निष्पादन प्रतिभूति के रूप में जमा करना होगा। निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करने हेतु दिया गया समय स्वीकृति पत्र जारी करने की तारीख से 15 दिन होगा। **3%** की निष्पादन प्रतिभूति बैंक गारंटी (ई-बैंक गारंटी सहित), अनुसूचित बैंक की आवधिक जमा पावती या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में भी स्वीकार की जाएगी ।

25. प्रतिभूति जमा ठेकेदारों की चालू बिल की सकल राशि से 2.5% की दर से कटौती द्वारा तब तक वसूली जाएगी जब तक कि वसूली की गई कुल प्रतिभूति जमा कार्य के निविदा मूल्य की राशि का 2.5% हो जाए। प्रतिभूति जमा, सरकारी प्रतिभूतियां, अनुसूचित बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंक की आवधिक जमा पावतियों के रूप में भी स्वीकार की जाएगी । इन्हें लेखा अधिकारी, भापअ केंद्र, मुंबई के नाम पृष्ठांकित किया जाए । कार्य निष्पादन प्रतिभूति जमा प्राप्त होने पर, सफल बोलीकर्ता की बयाना राशि लौटा दी जाएगी अथवा वापस कर दी जाएगी,

परंतु यदि कार्य निष्पादन प्रतिभूति जमा, बैंक गारंटी (ई-बैंक गारंटी सहित) के रूप में है तो बयाना राशि तभी लौटाई जाएगी जब गारंटी जारीकर्ता बैंक द्वारा इसके सत्यापन की पुष्टि हो जाती है।

26. यदि सफल निविदाकार कार्य प्रारंभ करने की अनुबंधित तारीख को या उससे पहले निर्धारित निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं तो विभाग (भापअ केंद्र) किसी अन्य अधिकार या उपाय पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के, उक्त बयाना राशि को पूर्ण रूप से जब्त कर सकते हैं ।

27. निविदा की स्वीकृति विभाग के पास सुरक्षित है जो सबसे कम मूल्य की निविदा को स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं है एवं इसके पास किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार है। वे सभी निविदाएं, जिनमें निर्धारित शर्तें पूरी न की गयी हों अथवा जो किसी भी दृष्टि से अपूर्ण होंगी उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाएगा ।

28. निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार की सिफ़ारिश करना सख्त मना है, जो ठेकेदार सिफ़ारिश करेगा उसकी निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी ।

29. निविदा स्वीकृत होने पर, ठेकेदार द्वारा अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के नामों की सूचना प्रभारी अभियंता को दे दी जाए, जो प्रभारी अभियंता से निर्देश लेने के लिये जिम्मेदार होंगे ।

30. विभाग समस्त निविदा अथवा निविदा के किसी भाग को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं निविदाकार अपने द्वारा दी गयी दर पर कार्य करने के लिए बाध्य हैं ।

31. ठेकेदार द्वारा देय उगाही /कर

i) इस अनुबंध के लिए ठेकेदार द्वारा **खरीदे गए इनपुट या आउटपुट** के संबंध में लागू कोई भी अन्य कर ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा और सरकार इसके संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगी।

ii) सभी निविदा दरों में किसी भी क़ानून के तहत लगाए गए सभी कर, शुल्क, लेवी या उपकर, शुल्क, रॉयल्टी शुल्क आदि शामिल होंगे, लेकिन निविदा की प्राप्ति की अंतिम निर्धारित तिथि, विस्तार सहित अगर है, पर लागू **जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) शामिल नहीं होंगे**।

iii) कोई कर देनदारी (जीएसटी के अलावा) या बीमा खर्च BARC द्वारा वहन नहीं किया जाएगा। इस कार्य अनुबंध पर चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित लागू जीएसटी इस कार्य के लिए जीएसटी भुगतान के मूल दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने के अधीन BARC द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य है।

iv) बोलीदाताओं/निविदाकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे जीएसटी के अनुरूप हैं और उनकी उद्धृत कर संरचना/दरें जीएसटी कानून के अनुसार हैं।

v) जीएसटी के तहत पंजीकरण और जीएसटी प्रावधानों के अनुपालन के लिए अनुबंध-3 के अनुसार एक समझ प्रस्तुत की जानी चाहिए।

vi) अनुसूची-बी में उद्धृत सभी निविदा दरों में किसी भी क़ानून के तहत लगाए गए सभी कर, शुल्क, लेवी या उपकर, शुल्क, रॉयल्टी शुल्क आदि शामिल होंगे, लेकिन **जीएसटी (वस्तु और सेवा कर) को छोड़कर**।

vii) ठेकेदार को भुगतान किए जाने वाले प्रत्येक बिल से किए गए कार्य के सकल मूल्य के 1**%** की दर पर श्रम कल्याण उपकर काटा जाएगा।

viii) ठेकेदार को भुगतान किए जाने वाले प्रत्येक बिल में से यथा लागू आय कर एवं उप कर काटे जाएंगे।

ix) ठेकेदार को ईपीएफ और ईएसआईसी के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए तथा ठेकेदार ठेके के कामगारों के ईपीएफ एवं ईपीआईसी भुगतान संबंधित विभाग को करेगा और जब विभाग इस बात से संतुष्ट हो जाए कि इसका भुगतान वास्तव में और सही रूप से कर दिया गया है तो विभाग ठेकेदार को इसकी प्रतिपूर्ति कर देगा। बोलीकर्ता अपनी दरों में ईपीएफ और ईएसआईएसी पर विचार नहीं करेगा।

ठेकेदार सभी पात्र कर्मचारियों/श्रमिकों/ कामगारों के संबंध में इपीएफ अधिनियम, 1952 के सभी प्रावधानों का पालन करेगा तथा प्रत्येक आरए बिल के साथ इसका दस्तावेजी प्रमाण नियमित रूप से जमा कराएगा।

x) सरकारी निदेशों के अनुसार कोई अन्य कर/उपकर की कटौती, ठेकेदार को समय-समय पर भुगतान किए जाने वाले प्रत्येक बिल में से की जाएगी।

32. बोलीदाता को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206एबी (जैसा लागू हो) के अनुसार अनुबंध 2 में संलग्न निर्धारित प्रारूप में अपने लेटर हेड पर अंडरटेकिंग जमा करनी होगी।

33. यदि कोई निविदाकार वैधता की अवधि से पहले निविदा वापस लेता है अथवा निविदा की निबंधनों और शर्तों में ऐसे संशोधन करता है जो कि विभाग को मान्य न हो तो सरकार अन्य किसी अधिकार या कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संपूर्ण बयाना राशि की 50% (पचास प्रतिशत) धनराशि को ज़ब्त करने के लिए स्वतंत्र होगी।
इसके अतिरिक्त, निविदाकार को कार्य की पुन: निविदाकरण प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

34. सफल निविदाकार को कार्य सौंपने के पश्चात, ठेकेदार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु समय सारणी एवं नकदी प्रवाह विवरण प्रस्तुत करेगा जो करार का एक भाग होगा।

35. **जिस सफल निविदाकार की निविदा स्वीकार की जाएगी उसे बीएआरसी के अंदर काम करने वाले अपने सभी कर्मचारियों जैसे: इजीनियरों, पर्यवेक्षकों एवं मज़दूरों का अपने खर्चें पर पुलिस की विशिष्ट शाखा द्वारा जारी पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र (पीवीसी) प्राप्त करना आवश्यक होगा।**

बोलीकर्ता कृपया नोट करें कि केवल पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र (पीवीसी) धारक कर्मचारियों को ही भापअ केंद्र परिसर के अंदर आने की अनुमति होगी और वे तदनुसार ही कोट करें ।

यदि सुरक्षा जांच के परिणामस्वरूप ठेकेदार/कंपनी/फर्म/मालिक और/अथवा उनके ठेके के कार्मिक के विरुद्ध कोई प्रतिकूल चार्टर और पूर्ववर्ती अभ्युक्तियां/ अधिसूचना प्राप्त होती है तो कोई कारण बताए बिना/कारण बताओं नोटिस दिए बिना ठेकेदार की सेवाएं तुरंत समाप्त करने का अधिकार भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के पास सुरक्षित हैं । भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा उक्त कार्रवाई के फलस्वरूप परिस्थितियों के तहत किसी नुकसान/दायित्व हेतु दावे का अधिकार ठेकेदार के पास नहीं होगा । समय-समय पर पऊवि/भापअ केंद्र द्वारा जारी सुरक्षा अनुदेशों के पालन/अनुसरण में ठेकेदार की ओर से होनेवाली असफलता हेतु सरकार के अधिकार में मौजूद कार्यनिष्पादन प्रतिभूति और/अथवा प्रतिभूति जमा का कुछ भाग/पूर्ण रूप से जब्त करने का अधिकार भी भापअ केंद्र के पास सुरक्षित है

अनुदेश :

36. ठेकेदार **https://eprocure.gov.in/eprocure/app** के साथ पंजीकृत होना चाहिए। जो ठेकेदार ऊपर उल्लेखित वेबसाइट पर पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें पंजीकृत होने की आवश्यकता है ।

37. इच्छुक बोलीकर्ता के पास निविदा दस्तावेज (एक्सेल/वर्ड फार्मेट) को खरीदने/डाउनलोड करने हेतु अनुरोध करने के लिए वैध क्लास-**III** डिजिटल हस्ताक्षर होने चाहिए । अनिवार्य दस्तावेजों तथा ईएमडी/ निर्धारित प्रारूप में विधिवत हस्ताक्षरित बोली प्रतिभूति घोषणा की स्कैन की गई प्रति को अपलोड करने के पश्चात ही बोली प्रस्तुत की जा सकती है ।

38. निविदाएं उक्त एनआईटी विवरण में यथावर्णित, समय तथा तारीख तक ऑनलाइन प्राप्त की जाएंगी। उक्त एनआईटी में यथावर्णित समय एवं तारीख पर भाग 'क' (तकनीकी बोली) खोला जाएगा । सर्वप्रथम ईएमडी की रसीद की जांच की जाएगी । यदि इन्हे सही पाया गया तो भाग 'क' खोला जाएगा । भाग 'क' खोलने के पश्चात मूल्यांकन के लिए ठेकेदार के दस्तावेजों से संबंधित तकनीकी-वाणिज्यिक बोली का मूल्यांकन किया जाएगा और तदनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निविदाकारों को योग्य/अयोग्य घोषित किया जाएगा। तब योग्यताप्राप्त निविदाकारों की निविदा के भाग 'ख' (वित्तीय बोली) को अधिसूचित तारीख एवं समय पर खोला जाएगा। भाग 'ख' (वित्तीय बोली) खुलने की तारीख की सूचना सभी बोलीकर्ताओं को सीपीपी वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी।

39. सीपीपी पोर्टल पर बोलीदाताओं की वित्तीय मूल्यांकन स्थिति प्रकाशित करने के बाद ही असफल बोलीदाताओं की ईएमडी बिना किसी ब्याज के वापस की जाएगी।

40. तकनीकी मानकों, निर्माण प्रक्रिया, गुणवत्ता आश्वासन / नियंत्रण और परीक्षण के विस्तृत अध्ययन और वांछित प्रदर्शन और विस्तृत अध्ययन के आधार पर निविदा दस्तावेज में अस्थायी निर्माण निर्दिष्ट किए गए हैं। सूची केवल मार्गदर्शन के लिए है और बोलीदाता किसी भी अन्य मेक को पसंद कर सकते हैं जो निविदा दस्तावेज एसीईडी की धारा-VIII के तहत दिए गए खंड-V और मात्रा की अनुसूची के तहत दिए गए तकनीकी विनिर्देशों को पूरा करता है और प्रासंगिक बीआईएस कोड और अन्य प्रासंगिक कोड की पुष्टि करेगा। बोलीदाता बोली-पूर्व चरण के दौरान और तकनीकी बोली प्रस्तुत करने से पहले किसी भी मेक/ब्रांड मीटिंग तकनीकी मानकों का सुझाव दे सकता है।

41. वित्तीय प्रस्ताव/वाणिज्यिक बोली/BoQ प्रारूप इस निविदा दस्तावेज सहित BoQ_XXXX.xls के रूप में लिंक https://eprocure.gov.in/eprocure/app. पर उपलब्ध है। बोलीकर्ताओं को यह सलाह दी जाती है कि वे इस BoQ_XXXX.xls को यथावत डाउनलोड करें एवं निर्धारित कॉलम में अपने प्रस्ताव/दर उद्धृत करें तथा उसे वाणिज्यिक बोली में अपलोड करें। अनुसूची-बी में उद्धृत सभी निविदा दरों में किसी भी क़ानून के तहत लगाए गए सभी कर, शुल्क, लेवी या उपकर, शुल्क, रॉयल्टी शुल्क आदि शामिल होंगे, लेकिन **जीएसटी (वस्तु और सेवा कर) को छोड़कर । बोलीकर्ता डाउनलोड की गई मूल्य बोली टेम्प्लेट के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़/ संशोधन नहीं करेंगे**। यदि यह पाया जाता है कि उक्त टेम्प्लेट के साथ छेड़छाड़ की गई है या किसी प्रकार का परिवर्तन किया गया है, तो निविदा को पूर्णत: अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा विभाग द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी ।

42. निविदा खुलने की तारीख के दिन, ठेकेदार लॉग इन करके बोली खुलने के बाद उसकी स्थिति देख सकते हैं ।

43. ठेकेदार प्रत्येक मद की दर कोट करना सुनिश्चित करें । अंकों में दर कोट करने वाला कॉलम आसमानी रंग का है। कोई भी सेल चुनते (सिलेक्ट) समय एक चेतावनी दिखाई देगी कि प्रत्येक सेल में मूल्य की प्रविष्टि अनिवार्य रूप से की जाए की जाए भले ही यह शून्य क्यों न हो।

नोट: **संभावित बोलीकर्ता, बोली प्रस्तुत करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्होंने एनआईटी के समस्त मानदंडों को पूरा किया है। विभाग के पास, निर्धारित मानदंडों को पूरा न कर पाने वाली एजेंसियों की निविदाओं पर विचार न करने का अधिकार सुरक्षित है ।**

44. मूल प्रति से स्कैन किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची जिन्हें बोलीकर्ता द्वारा बोली प्रस्तुतीकरण की अवधि के भीतर अपलोड करना है :-

I चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित वित्तीय टर्नओवर और प्रैक्टिस करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए वैध विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (यूडीआईएन) भी होनी चाहिए ।

ii चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित लाभ एवं हानि विवरण

iii नवीनतम बैंक ऋणशोधन क्षमता प्रमाणपत्र

iv पिछले सात वर्षों में पूर्ण किए गए समरूप कार्यों की सूची जिसमें निम्नलिखित सूचना दर्शाई जाए: i) किस एजेंसी के लिए कार्य निष्पादित किया गया है, ii) कार्य का मूल्य, iii) कार्य समापन की निर्धारित एवं वास्तविक अवधि, iv) अर्हक समरूप कार्यों के लिए ग्राहकों द्वारा जारी कार्य निष्पादन प्रमाणपत्र ।

v निम्नलिखित जानकारी सहित वर्तमान में चल रहे कार्यों की सूची: i) एजेंसी ii) कार्य का मूल्य, iii) कार्य समापन का निर्धारित समय/ वर्तमान स्थिति।

vi निर्माण संयंत्र एवं मशीनरी की सूची ।

vii तकनीकी कर्मचारियों की सूची ।

viii प्रमाणपत्र :

ए. पंजीयन प्रमाणपत्र, यदि कोई हो तो ।

बी. जीएसटी के लिए पंजीयन प्रमाणपत्र ।

सी. पैन (स्थायी खाता संख्या) पंजीयन

डी.ईपीएफ एवं ईएसआईसी के लिए पंजीयन प्रमाणपत्र ।

ix **ईएमडी के लिए** किसी अनुसूचित बैंक का एफडीआर/ डिमांड ड्राफ्ट/पीओ/बीसी हो ।

x ईएमडी के लिए किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी (ई-बैंक गारंटी सहित), यदि कोई है ।

xi यह वचन (अंडरटेकिंग) कि समान प्रकार का अर्हक कार्य बैक टू बैक आधार पर दूसरे ठेकेदार के माध्यम से निष्पादित नहीं कराया गया है।

xii बोलीकर्ता के पत्रशीर्ष पर वचनबंध निम्नवत होगा:

"मैं/हम, एतद् द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए अनुसूची "एफ" में निर्धारित समय के भीतर विनिर्दिष्ट कार्य के निष्पादन के लिए अर्थात मात्राओं की सूची एवं सभी प्रकार के विनिर्देशों, अभिकल्पों, आरेखों ओर भाग-ए की धारा-II में लिखित रूप से संदर्भित अनुदेशों एवं अनुबंध के सामान्य खंडों के खंड-I। और ऐसी सामग्री जो यथा लागू ऐसी शर्तों के अनुरूप उनकी पूर्ति हेतु उपलब्ध कराई जाती है,के साथ निविदा प्रस्तुत करता हूं/ करते हैं। "

xiii बोलीकर्ता के पत्र शीर्ष पर अनुलग्नक 1 में यथाप्रदर्शित निविदा स्वीकृति पत्र।

xiv. बोलीकर्ता के पत्र शीर्ष पर निम्नानुसार वचनबद्ध है :

"हम _____ (बोलीकर्ता का नाम) वचन देते हैं कि हम निविदा संख्या _____ के लिए पीपी-एलसी पॉलिसी के अनुसार 'श्रेणी I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' हेतु अर्हक होने की अनिवार्य 'स्थानीय सामग्री' (एलसी) की आवश्यकता को पूरा करते हैं। बोली में स्थानीय सामग्री का प्रतिशत _____% है। "

टिप्पणी : तकनीकी मूल्यांकन के दौरान यदि कोई दस्तावेज नहीं पाया जाता है तो निरीक्षण समिति उसे प्रस्तुत करने के लिए कह सकती है।

45. **बोलीकर्ता को निम्नलिखित भरना है:**

ए) तकनीकी बोली।

बी) अनुसूची 'ख'- (वित्तीय बोली)

46. **पात्र स्रोत देश :**

भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोलीकर्ता को सार्वजनिक प्रापण प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एफ सं. 6/18/2019-PPD दिनांकित 23.07.2020 के माध्यम से जारी आदेश (सार्वजनिक प्रापण संख्या 1) तथा (सार्वजनिक प्रापण संख्या 2) तथा उसके समय-समय पर जारी अनुशेष का अनुपालन करना होगा। साथ ही, बोलीकर्ता को परिशिष्ट-'एफ' में दिये प्रोफार्मा के अनुसार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि बोली प्रस्तुत करने के दौरान किसी भी समय या ठेका प्रदान किये जाने के बाद यह पाया जाता है कि उक्त घोषणा या प्रमाणपत्र गलत है या त्रुटिपूर्ण है, तो भारत में संबंधित कानून के तहत अनुमेय अन्य कार्रवाइयों सहित उक्त ठेके को समाप्त कर दिया जाएगा।

परिशिष्ट-एफ

पात्र स्रोत देशों हेतु प्रमाणपत्र का प्रपत्र

(बोलीकर्ता के पत्रशीर्ष पर प्रस्तुत किया जाना है)

मैंने/हमने..... (बोलीकर्ता का नाम) ..... , भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोलीकर्ता से प्रापण पर प्रतिबंध संबंधी एनआईटी खंड को पढ़ लिया है तथा मैं/हम ऐसे देश से नहीं हैं या ऐसे देश से हैं (देश का नाम लिखें.....) जो सक्षम प्राधिकारी के अधीन पंजीकृत हैं तथा वैध पंजीकरण के प्रमाणस्वरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र इसके द्वारा प्रस्तुत करते हैं।

मैं/हम एतदद्वारा प्रमाणित करते हैं कि मैं/हम इस संबंध में समस्त अपेक्षाओं को पूर्ण कर रहे हैं तथा एनआईटी खंड के अनुसरण में बोलीकर्ता के रूप में विचार किये जाने हेतु पात्र हैं।

मैं/हम नियोक्ता के इस अधिकार को भी स्वीकार करते हैं कि यदि बोलीकर्ता ऊपर उल्लेखित देश से हैं तथा उन्होंने अपनी बोली के साथ उक्त प्रमाणपत्र संलग्न नहीं किया है, तो नियोक्ता द्वारा बोलीकर्ता को अयोग्य माना जायेगा।

मैं/हम नियोक्त के इस अधिकार को स्वीकार करते हैं कि बोलीकर्ता द्वारा गलत घोषणा या प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये जाने पर, कानून के तहत अनुमेय अन्य कार्रवाइयों सहित बोलीकर्ता की प्रतिभागिता पर पाबंदी लगा दी जायेगी।

बोलीकर्ता के हस्ताक्षर

टिप्पणी:

1. इच्छुक एजेंसियां पंजीकरण हेतु **https://eprocure.gov.in/eprocure/app** वेबसाइट देख सकती हैं।
2. सहायता/स्पष्टीकरण के लिए संपर्क **:**
   (022) 25591925/25593067/25593062/25592529/9419909516. Fax: (022) 25505310.
3. ई निविदाकरण में पंजीयन एवं सहभागिता हेतु सहायता के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों से संपर्क करें:
   ए) 24x7 सीपीपी पोर्टल हेल्पडेस्क - 0120-4001 002, 0120-4001 005, 0120-6277 787
   बी) स्थानीय हेल्पडेस्क **श्री भूषण/ श्री मयूर** 022 25487480
   सी) **ईमेल:** support-eproc@nic.in
4. स्थल निरीक्षण/स्पष्टीकरण के लिए अुनरोध हेतु ईमेल आईडी :
   सेवा में:
   प्रतिलिपि:

यदि एनआईटी के अंग्रेजी एवं हिंदी पाठ के बीच कोई अंतर हो तो अंग्रेजी पाठ को सही माना जाए ।

प्रमुख, केंद्रीकृत सेवा अनुभाग,
इंजीनियरिंग सेवा समूह,
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र
भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से

अनुलग्नक-1

निविदा सवीकृति पत्र

(कंपनी के पत्रशीर्ष पर प्रस्तुत किया जाएं।)

दिनांक :

प्रति,

प्रमुख, केंद्रीकृत सेवा अनुभाग,

इंजीनियरिंग सेवा समूह, भापअ केंद्र,

ट्रांबे, मुंबई-400 085

विषय : **निविदा की शर्तें एवं निबंधनों की स्वीकृति ।**

निविदा संदर्भ सं. बीएआरसी / सीईडी / ईटी / / 2023-2024 दिनांक: . .2024

निविदा/ कार्य का नाम : -

महोदय,

1. मैंने/हमने उपर्युक्त निविदा/कार्य के लिए आपके विज्ञापन में दिए गए अनुसार उपर्युक्त वेबसाइट (वेबसाइटों) https://eprocure.gov.in/eprocure/app और www.barc.gov .in से निविदा दस्तावेज डाउनलोड/प्राप्त कर लिए हैं।

2. मैं/हम एतद्वारा प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने भापअ केंद्र की वेबसाइट http://barc.gov.in/tenders/ पर अन्य सूचना आदि खंड के तहत उपलब्ध निविदा दस्तावेजों (एएंडसीईडी निविदा दस्तावेज, अनुलग्नक/अनुलग्नकों, अनुसूची/ अनुसूचियों, शुद्धिपत्र, नागरिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यों के लिए तकनीकी विनिर्देश, निर्माण कार्य संविदा इत्यादि हेतु निर्माण कार्य संरक्षा नियमावली आदि सहित) के संपूर्ण निबंधन और शर्तों को पढ़ लिया है।), जो संविदा करार का हिस्सा होगा और मैं/हम इसमें निहित निबंधनों/शर्तों/खंडों का पालन करूंगा/ करेंगे ।

3. इस स्वीकृति पत्र को प्रस्तुत करते समय आपके विभाग/संगठन द्वारा समय-समय पर जारी शुद्धिपत्र/शुद्धिपत्रों को भी ध्यान में रखा गया है।

4. मैं/हम एतद द्वारा उपर्युक्त निविदा दस्तावेज/दस्तावेजों / शुद्धिपत्र/शुद्धिपत्रों की निविदा शर्तों को उसकी संपूर्णता/समग्रता के साथ बिना शर्त स्वीकार करता हूं /करते हैं ।

5. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि हमारी फर्म को किसी भी सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है। ।

6. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि हमारे फर्म द्वारा प्रस्तुत की गई समस्त जानकारी सत्य एवं सही है तथा इस जानकारी के गलत/मिथ्या होने पर या उल्लंघन पाए जाने पर विभाग द्वारा की जाने वाली कार्रवाई सहित अन्य किसी अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आपका विभाग/संगठन कोई भी नोटिस दिए बिना या कारण बताए बगैर बोली को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर देगा या ठेके को समाप्त कर देगा ।

भवदीय,

(आधिकारिक मुहर के साथ बोलीकर्ता के हस्ताक्षर)

अनुलग्नक-2

जो कोई भी इससे संबंधित है उसके लिए

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 206 एबी के अनुसार वचन देना
तत्काल दो पूर्ववर्ती वर्षों से आयकर रिटर्न दाखिल करने की पुष्टि की घोषणा।

मैं, _____ [नाम], व्यक्ति/मालिक/साझेदार/निदेशक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की हैसियत से _____ [इकाई का नाम] पैन _____ के साथ, आय अधिनियम, 1961 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आवश्यक के रूप में निम्नलिखित घोषणा करता हूं (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित):

1. कि मैं/हम व्यक्तिगत/मालिक/साझेदार/निदेशक के रूप में यह घोषणा करने के लिए अधिकृत हूं/हैं।

2. मैं/हम इसके द्वारा घोषित और पुष्टि करते हैं कि मैं/हम आईटी अधिनियम की धारा 206एबी में प्रदान की गई 'निर्दिष्ट व्यक्ति' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं।

3. मैंने/हमने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के अनुसार नियत तारीख के भीतर वित्तीय वर्ष 21-22 और वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए आय की विवरणी विधिवत दाखिल की है - **हां/नहीं (जो लागू न हो उसे काट दें)**

4. यदि रिटर्न भरा गया है तो विवरण इस प्रकार हैं:

मैं/हम, _____ जिनके पास पैन _____ है, एतद्वारा पुष्टि करता हूँ कि धारा 206 एबी का प्रावधान मेरे/हमारे मामले में लागू नहीं है क्योंकि मैं/हम आयकर रिटर्न भरने में नियमित हैं/हैं। पावती संख्या और पिछले दो वित्तीय वर्षों के लिए आयकर रिटर्न भरने की तारीख का विवरण (दस्तावेजों के प्रमाण के साथ) नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष / (आकलन वर्ष)	फाइल करने की तिथि	आयकर रिटर्न आईटीआर पावती संख्या
1	2021-22 / (2022-23)		
2	2022-23 / (2023-24)		

5.मैं/हम उपरोक्त जानकारी की गलत रिपोर्टिंग के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी कर, ब्याज, दंड आदि सहित किसी भी हानि/दायित्व के लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी लेते हैं।

उपरोक्त सभी अभ्यावेदन सत्य और सही हैं, और हम/मैं इसके समर्थन में किसी भी समय आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए सहमत हैं।

की ओर से_____

<< अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम >>

<< पदनाम >>

संस्था का नाम:

अनुलग्नक-3

फर्मों/एजेंसियों द्वारा जीएसटी उपक्रम

(कंपनी के लेटर हेड पर दिया जाए)

निविदा/कार्य का नाम:

_____

_____

प्रिय महोदय,

1.कि बोली लगाने वाले जीएसटी के तहत पंजीकृत हैं और जीएसटी प्रावधानों के अनुरूप हैं।

2. जीएसटी प्रावधानों का अनुपालन न करने और किसी भी इनपुट क्रेडिट में रुकावट के मामले में, बोली लगाने वाला BARC को क्षतिपूर्ति देने के लिए जिम्मेदार होगा।

3. बोली लगाने वाले द्वारा सभी इनपुट क्रेडिट BARC को दे दिए गए हैं।

जगह:

तारीख:

भवदीय,

(आधिकारिक मुहर के साथ बोलीकर्ता के हस्ताक्षर)